धारा 133 : अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व

(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन आंकड़ों के संग्रहण या समेकन या उनके कम्प्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच रखने वाला केन्द्रीय कर कोई अधिकारी या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता स्वैच्छिक रूप से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत किसी विवरणी के अंश या अंतर्वस्तु को उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के सिवाय प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति,–

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जाएगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जाएगा।